न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 01/23 दायर दिनांकः 22.03.2023
जीसीएमएस नं. 2023/46

1 अमरसिंह 2 छबीले 3 श्यामसिंह 4 शिवचरन पुत्रान गोली जातियान जाटव नि. सुहारी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रार्थीगण

बनाम

1 रतन पुत्र हरपल्ला 2 रूपसिंह पुत्र प्रभू 3 बुद्धी 4 बालकिशन 5 रमेश 6 रामभरोसी 7 हरीराम पुत्रान लौहरे जातियान जाटव नि. सुहारी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क)
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता— 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी ——प्रार्थी सं. 1,2,3
2.श्री ओ.पी. व्यास ——अप्रार्थी सं. 1,2
3.श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय ——अप्रार्थी सं. 3 लगा. 7

निर्णय दिनांक 16.12.2024

वकील प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आ.ख.नं. 263 रकबा 2.62 हैक्टे. वाके ग्राम मूसेपुर में स्थित है। जिसके आवागमन के लिये 308 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौड़ाई का अर्थात 924 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता लेना चाहता है। रास्ते हेतु खातेदार रतन व रूपसिंह का आ.ख.नं. 261 रकबा 2.33 हैक्टे., ख.नं. 0.91 हैक्टे. खातेदार बुद्धि, बालकिशन, रमेश, रामभरोसी, हरीराम का रकबा आता है, जो वाके ग्राम मूसेपुर की आराजी है।

अतः प्रार्थीगण ने खेत में आने जाने के लिये उक्त रास्ता नियमानुसार दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 की ओर से वकालतनामा श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा श्री दौलतराम एड. द्वारा पेश किया गया तथा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, भुसावर की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वार आपत्ति पेश की गई। मुताबिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अवगत कराया

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की आ.ख.नं. 261 है, जिस पर पाटौर पौस बनी हुई जिसका उपयोग कृषि कार्य के यन्त्र एवं चारा भरने हेतु निरन्तर किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के लिये पूर्वजों के जमाने से ही ख.नं. 521, 522 की मैड पर होकर रास्ते के रूप में काम ले रहे है। जिसकी ताईद में तहसीलदार, भुसावर का प्रस्ताव संख्या 3 है तथा इस आराजी के आने जोन के लिये पूर्व से ही रास्ता है।

आपत्ति के जवाब में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण नही है और ना ही कोई पाटौर पौस है, मौके पर क्षतिग्रस्त पाटौर पौस है तथा मौके पर कोई चाह पुख्ता नहीं है तथा मौके पर गढ्ढा है।

हमने बहस प्रार्थना पत्र 251(क) व आपत्ति बाबत तहसीलदार, भुसावर रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया तथा तहसीलदार, भुसावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भाँति अध्ययन किया गया। मुताबिक प्रस्ताव संख्या 1 में अन्य खातेदारान के दो ख.नं. 261, 262 आते है तथा प्रस्ताव संख्या 2 मे अन्य खातेदारान के चार ख.नं. 261, 262, 524, 531 आते है एवं प्रस्ताव संख्या 3 में अन्य खातेदारान के दस ख.नं. 522, 677/521, 526, 527, 530, 528, 531, 532, 553, 529 आते है।

इस प्रकार सबसे कम ख.नं. प्रस्ताव संख्या 1 में आते है तथा प्रार्थीगण की आराजी को आने जाने के लिये तीनों प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 1 नजदीक है।

धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा यही है कि खातेदार कृषक की आराजीयात में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निकटतम एवं सुलभ रास्ता उपलब्ध कराया जावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार, भुसावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 1 अनुसार आ.ख.नं. 261 किस्म चाह तृतीय में रास्ते के लिये 236 मीटर x 04 मीटर = 944 वर्गमीटर तथा ख.नं. 262 में 72 मीटर x 4 मीटर = 288 वर्गमीटर अर्थात् कुल 1232 वर्गमीटर, प्रार्थीगण के ख.नं. 263 के लिये रास्ता स्वीकृत कर तहसीलदार, भुसावर को स्वीकृत रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही संपादित करने हेतु आदेशित किया जाता है तथा ख.नं. 261 (प्रस्तावित रास्ते) के दक्षिण में निर्मित पाटौर पौस को छोड़ते हुये रास्ता कायम किय जावें।

उक्त आदेश केवल तभी निष्पादित किया जावेगा तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उनकी रास्ते मे आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दोगुना प्रतिकर दे दिया जावेगा अथवा तहसील कार्यालय, भुसावर में जमा करवा दिया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)